

राजस्थानसरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक- एफ.10(1)आयु./2019 पार्ट-11

जयपुर, दिनांक : 13 AUG 2021

--: आदेश :-


राज्य में चिकित्सकीय सेवाओं को सुचारुत्व प्रदान करने एवं प्रशासनिक कारणों से लोकहित में निम्नांकित यूनानी चिकित्साधिकारी/वरिष्ठचिकित्साधिकारी ग्रेड-11 का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.स.	नाम कार्मिक	पद	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन स्थान	विवरण
1	डॉ. विजय कुमार सावरिया	वरिष्ठ यूनानी चिकित्साधिकारी ग्रेड-11	राज.यूनानी.औष. चांदराना-दौसा	औषधि निरीक्षक यूनानी निदेशालय, जयपुर	डॉ. नरेश पाल यादव के स्थान पर
2	डॉ. नरेश पाल यादव	यूनानी चिकित्साधिकारी	औषधि निरीक्षक यूनानी निदेशालय, जयपुर	सीएचसी. निवाई-टोंक	रिक्त पद पर (प्रभावित)
3	डॉ. मोहम्मद तारिक	यूनानी चिकित्साधिकारी	राज.यूनानी.औष. भीलवाडा	राज.यूनानी.औष. बग्गीखाना-टोंक	डॉ नासिर हसन के स्थान पर
4	डॉ नासिर हसन	यूनानी चिकित्साधिकारी	राज.यूनानी.औष. बग्गीखाना-टोंक	राज.यूनानी.औष. भीलवाडा	डॉ. मोहम्मद तारिक के स्थान पर
5	डॉ शाकिर मोहम्मद	यूनानी चिकित्साधिकारी	सीएचसी राजाखेडा-धौलपुर	राज.यूनानी चिकि. धौलपुर	डॉ उज्जा शाहीन के स्थान पर
6	डॉ उज्जा शाहीन	यूनानी चिकित्साधिकारी	राज.यूनानी चिकि. धौलपुर	सीएचसी राजाखेडा-धौलपुर	डॉ शाकिर मोहम्मद के स्थान पर
7	डॉ हिफजूरहमान	यूनानी चिकित्साधिकारी	राज.यूनानी औष. डाबरा-करौली	राज.यूनानी औष करौली	रुकैया खातून के स्थान पर
8	डॉ रुकैया खातून	यूनानी चिकित्साधिकारी	राज.यूनानी औष करौली	राज.यूनानी औष. डाबरा-करौली	डॉ हिफजूरहमान के स्थान पर
9	डॉ आफताब अहमद	यूनानी चिकित्साधिकारी	सीएचसी मण्डरायल-करौली	जिला चिकि. करौली	डॉ नुसरत बानो के स्थान पर
10	डॉ नुसरत बानो	यूनानी चिकित्साधिकारी	जिला चिकि. करौली	सीएचसी मण्डरायल-करौली	डॉ आफताब अहमद के स्थान पर

M30
13/9/21

- उक्तमें से जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किये गये है, को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
- उपर्युक्त स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो, तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- किसी अधिकारी द्वारा पूर्व में ही माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त कर रखा हो, तो उसकी क्रियान्विति विधिक परामर्श उपरान्त सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर करें।

4. जिला, परिषद एवं पंचायत समिति के आम चुनाव 2021 अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

आज्ञा से,

(अ.एन.शर्मा)

निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर 26, प्रतापनगर जयपुर-302033 फोन नं. 0141-2796625 ईमेल-directorunani@rajasthan.gov.in
क्रमांक/प्रति-1/यूनानी चिकि./स्थानान्तरण/2021-22/2471 दिनांक: 13.08.2021

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर ।
2. नोडल अधिकारी, निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर को दी जाकर लेख है कि संबंधित को जरिय ई-मेल व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. चिकित्सा प्रभारी, राजकीय यूनानी चिकित्सालय/औषधालय/सीएचसी/पीएचसी/जिला चिकित्सालय को देकर लेख है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश पर माननीय न्यायालय से स्थगन या अन्य आदेश प्राप्त किये जाते है तो निदेशालय/शासन स्तर से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण किया/करवाया जावे।
4. संबंधित अधिकारी
5. समस्त शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली ।


निदेशक